षोडश बिहार विधान सभा

एकादश सत्र

ध्यानाकर्षण सूचना

निम्नलिखित ध्यानाकर्षण सूचना बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम-104(3) के अन्तर्गत दिनांक-29.11.2018 के लिए अध्यक्ष महोदय द्वारा स्वीकृत की गयी है ।

क्र० सं०	सदस्य का नाम	विषय	विभाग
1	2	3	4
1.	श्री सुदामा प्रसाद, स०वि०स० श्री महबूब आलम, स०वि०स० श्री भोला यादव, स०वि०स० श्री लाल बाबू राम, स०वि०स० श्री सत्यदेव प्रसाद सिंह, स०वि०स० श्री शम्भु नाथ यादव, स०वि०स० श्री राहुल तिवारी, स०वि०स० श्री कुमार कृष्ण मोहन, स०वि०स० डा० राजेश कुमार, स०वि०स० श्री बिरेन्द्र कुमार सिन्हा, स०वि०स० श्री सुनील कुमार, स०वि०स० श्री राम विशुन सिंह, स०वि०स० श्री सत्यदेव राम, स०वि०स०	''पूरे बिहार में अभी तक सरकार ने धान खरीद का न तो लक्ष्य तय किया और न ही क्रय केन्द्रों पर किसानों से धान खरीद की तिथि ही निर्धारित की है । महंगा डीजल खरीदकर किसानों ने धान पैदा किया, लेकिन अभी तक उन्हें डीजल सब्सिडी का लाभ नहीं मिला । घाटे की खेती कर रहे किसानों की हालत आर्थिक रूप से अत्यन्त ही जर्जर एवं दयनीय है । इस वर्ष भी रब्बी फसल की बोआई के लिए जरूरतमंद किसान बिचौलियों, दलालों के हाथों अपना धान औने-पौने दाम पर बेच रहे हैं । अतः सूबे के किसानों को उत्साहित करने के लिए एफ०सी०आई०, एस०एफ०सी० व व्यापार मंडल के माध्यम से हर पंचायत में सरकारी क्रय केन्द्र खोलकर बिना कागज-पतर के तत्काल बटाईदार एवं भूधारी किसानों के सम्पूर्ण धान की खरीद करने, धान का समर्थन मूल्य 3000/- प्रति क्विंटल व राज्य सरकार द्वारा प्रति क्विंटल 1000 रूपया बोनस देने तथा क्रय केन्द्रों पर किसानों को धान के मूल्य का सीधा भुगतान करने के लिए हम सदन के माध्यम से सरकार का ध्यानाकृष्ट करते हैं ।''	सहकारिता

क्र० सं०	सदस्य का नाम	विषय	विभाग
1	2	3	4
2.	डा० अब्दुल गफूर, स०वि०स० श्री ललन पासवान, स०वि०स० श्री भाई वीरेन्द्र, स०वि०स० डा० रामानुज प्रसाद, स०वि०स० श्री मुनेश्वर चौधरी, स०वि०स० श्री सैयद अबु दौजाना, स०वि०स० श्री मो० नवाज आलम, स०वि०स० श्री अब्दुल बारी सिद्दिकी, स०वि०स० श्री शमीम अहमद, स०वि०स० श्री फराज फातमी, स०वि०स० श्री कुमार सर्वजीत, स०वि०स० श्री जितेन्द्र कुमार राय, स०वि०स० श्री प्रकाश वीर, स०वि०स०	''शिक्षा विभाग, बिहार के संकल्प संख्या-162, दिनांक-15.02.2011 तथा संकल्प संख्या-1010, 1011, दिनांक-16.09.2013 के अनुसार विद्यालय नियोजित शिक्षकों की भाँति मदरसा नियोजित शिक्षकों को भी वेतनादि दिया जाना था जो नहीं दिया जा रहा है । अत: बिहार राज्य मदरसा बोर्ड से मंजूर मदरसों में कार्यरत नियोजित शिक्षकों को भी विद्यालयों में कार्यरत नियोजित शिक्षकों की भाँति वेतनादि देने हेतु हम सदन के माध्यम से सरकार का ध्यानाकृष्ट करते हैं ।''	शिक्षा

बटेश्वर नाथ पाण्डेय
सचिव,
बिहार विधान सभा, पटना ।

ज्ञाप संख्या-ध्या०प्र०-30/18- 9828 / वि०स०, पटना, दिनांक-28 नवम्बर, 2018 ई० ।

प्रति:- बिहार विधान सभा के माननीय सदस्यगण / माननीय मुख्यमंत्री / माननीय उप मुख्यमंत्री / माननीय मंत्रिगण / मुख्य सचिव, बिहार एवं राज्यपाल के प्रधान सचिव / लोकायुक्त के आप्त सचिव / सचिव, बिहार विधान परिषद् / महाधिवक्ता, बिहार, पटना उच्च न्यायालय, पटना / संसदीय कार्य विभाग / सहकारिता विभाग तथा शिक्षा विभाग के सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

प्रदीप कुमार राय
28.11.2018
(प्रदीप कुमार राय)
उप सचिव,
बिहार विधान सभा, पटना ।

ज्ञाप संख्या-ध्या०प्र०-30/18- 9828 / वि०स०, पटना, दिनांक28 नवम्बर, 2018 ई० ।

प्रति:- माननीय अध्यक्ष महोदय के आप्त सचिव एवं आप्त सचिव, सचिवीय कार्यालय को क्रमश: माननीय अध्यक्ष महोदय एवं सचिव, बिहार विधान सभा के सूचनार्थ प्रेषित ।

प्रदीप कुमार राय
28.11.2018
(प्रदीप कुमार राय)
उप सचिव,
बिहार विधान सभा, पटना ।